न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 327/2023
वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

शिवराजसिंह पुत्र नायबसिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–नायबसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) 2–सुखवीरकौर पुत्री नायबसिंह पत्नी मनमीतसिंह जाति जटसिख साकिन मटदादु तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) 3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–
1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण
2–नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 से 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 5-3-2024

यह पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, वादी अपने दावा मे अपनी वंशावली दर्ज की है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या एक वादी का सगा पिता व प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की सगी बहिन है, वादी के पिता यानि प्रति0 संख्या एक नायबसिंह पुत्र सरजीतसिंह के नाम से चक नम्बर 15 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/98 में कुल 9.108 है0 में से 1/2 हिस्सा की 4.554 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त प्रश्नगत भूमि विरास्तन जद्दी जायदाद है तथा कुछ भूमि जद्दी जायदाद की आय से खरीद होने से विरास्तन है। उक्त कुल भूमि में मुझ वादी का 1/3 हिस्सा जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी जरिऐ घोषणा राजस्व अभिलेख में अपने नाम कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित समस्त सम्पति वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उसने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है, व वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने मुझ वादी को मेरे हिस्सा की 1.518 है0 भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया था जिस पर आज रोज [illegible] ही कब्जा काश्त है अब वादी अपनें हिस्सा की उक्त भूमि चक नम्बर 15 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/98 में कुल 1.518 है0 की घोष्णात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है।

शेष पृष्ठ 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादी बैंक, लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ हूँ, इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वे वादी को दावा की पहरा सं. 4 में वर्णितानुसार 1/3 हिस्सा अर्थात 1.518 है0 भूमि का जन्मजात खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील जबाब पेश किया तथा स्टेट की ओर से राज पेरोकार ने अपना जबाब पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज पूर्दश हेतु साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई। बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी ने कोई एतराज नहीं किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भूमि विरास्तन है जिसमें वादी का जन्मजात हक बनता है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादी अपने पिता नायबसिंह पुत्र सरजीतसिंह के नाम से चक नम्बर 15 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/98 में कुल 4.554 है0 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.518 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 के कुल हिस्सा में से 1.518 है0 भूमि कम करके वादी के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(...मीणा)
...कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 327/2023 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

शिवराजसिंह पुत्र नायबसिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–नायबसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) 2–सुखवीरकौर पुत्री नायबसिंह पत्नी मनमीतसिंह जाति जटसिख साकिन मटदादु तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) 3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

दावा बाबत घोषणात्मक।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई नवरत्न स्वामी जानिब मुदायलान पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी अपने पिता नायबसिंह पुत्र सरजीतसिंह के नाम से चक नम्बर 15 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/98 में कुल 4.554 है0 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.518 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 के कुल हिस्सा में से 1.518 है0 भूमि कम करके वादी के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निज......X......मुब्लिक......X......बाबत......X......।.खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक......X......को अदा करे।।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4-3-2024 को जारी किया गया

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:01 IST
Reason: SelfAttested